

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ़

सरोज आदि बनाम भागीरथ आदि

किरम मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 56/2023

तारीख हुजम	हुजम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फॉर्म अहकाम की हुजम की तारीख जारी हुआ
04.04.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 353/153 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.0270 हेक्टेयर तथा रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 12/13 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.5308 हेक्टेयर वाद भूमि में आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को रहन, दैय, मुतकिल न करे । उपरोक्त रथगन मंजूरशुदा शरता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 08/05/2023 को पेश हो ।</p>	

(Handwritten Signature)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांधी के संग अभियाज
वर्ष 2023 कैम्प टोपरिया
में पेश हो।

28/4/23

पत्रावली प्रशासन गांधी के संग अभियाज
वर्ष 2023 कैम्प टोपरिया
में पेश हुई राजधानी नगर पेशी नहीं
उपरोक्त पत्र उपरोक्त पत्र नहीं
पत्रावली दिनांक 7/7/23 को पेश हो।



सरोज
20/4/23
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

तारीख दिवस	हुसम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्ट अट्टाचमेंट की हुसम की तारीख जारी हुआ
17/5/2023	<p>फनावनी याचिकावाला द्वारा अर्जित जमानत का पट नैरती में ली गई। याचिकावाले ने निवेदन किया कि सामान्यतः एवं जैत सामान्यतः का कतिब में नदीमाका हो चुका है। जोकिर पर खुशानी इपी स्ट्रेज पर स्वारिन करसोके। याचिकावाला एवं अर्जित जमानत पत्र पर मुक्त वाद स्वारिन किया जा चुका है।</p> <p>माल: मुक्त वाद स्वारिन होने से नदीमा प्रारिण पत्र चलाये जाने का कोई कौनिक नहीं है। खुशानी जमानत पत्र सरोज भाडि बनाना आगरीण भाडि 50 का 56/2023 अर्जित धारा 212 RTA इसी स्ट्रेज पर स्वारिन किया जाता है। फनावनी नम्बर से काम होकर वाद त्कमीन दाखिल इफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">आजुगु अधिकारी (राजस्थान) नोहर (हनुमानगढ़)</p>	